कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0,आगरा

पत्रांक 134 / 5 सी0 दिनांक 16-1-17

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0),

आगरा।

विषयः– हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, आगरा को आगरा–शमशाबाद–राजाखेड़ा मार्ग के किमी0–27, चैनेज–26.332 ग्राम–एत्मादपुर अजनेरा, तहसील–फतेहाबाद, जिला–आगरा में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– आपका पत्र सं0– 711 / आब0सहा0–एन0ओ0सी0 दिनांक 05.10.2016

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, उक्त क्रम में मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 333 / 116सी0–आ0क्षे0 / 16 दिनांक 10.01.17 व अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत लो0नि0वि0, आगरा के पृष्ठांकन सं0–201 / 43सी–आ0वृ0 / 17 दिनांक 13.01.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सड़क परिवहन निगम एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक RW/N.H.-33023-19-D.OIII Dt. 31.08.2008 एवं पत्रांक RW/N.H.-33023-19/99-D.OIII Dt. 25.09.2003/17.01.2003 में दी गई गाइड लाईनों एवं शर्तों के अनुसार निर्माण की अनापत्ति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आईआर.सी. कोड सं0–12–1983 की प्रक्रिया के अनुसार फिलिंग स्टेशन के लिए निर्धारित मापदण्डों की मानचित्रों में पूर्ति के अनुसार की जायेगी।
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुॅच मार्ग पर 1.0 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 / ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन निगम एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुॅच मार्गो पर निर्मित की जाने वाली पुलिया के बीच 1.0 मी0 चौड़ाई में ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाइप के कैटिल कैचर बना दिया जाये ताकि रोड़ का पानी सुरक्षा ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली / नाले में जा सके।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुॅच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा, तथा पुलिया आई0आर0सी0–13 की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित की जायेगी।
5. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पेविड एरिया का लेबिल सड़क के लेपित सतह(पेन्टिड़ सतह)से ऊॅचा नहीं रखा जायेगा। अपितु मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जाये।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊॅचाई 60 सेमी0 से ऊपर नहीं रखी जाये।
7. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित मानचित्र के अनुसार किये जाये। निर्माण सामग्री लो0नि0वि0, सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 30 मीटर की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पम्प लगाने के उपरान्त किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
8. उपरोक्त बिन्दु / शर्तो का पालन नहीं करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. प्रस्तावित स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद होने पर / विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाये।
10 भूमि के स्वामित्व की जॉच राजस्व विभाग से करा ली जाये। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
11. प्रस्तावित स्थल से मार्ग पर 300 मीटर की दूरी तक कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं होना चाहिए।
12. लो0नि0वि0, मार्ग के चौड़ीकरण के समय निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो शिफ्ट कराना होगा कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
13. आवेदक का प्रस्तावित निर्माण एंव रिटेल आउट लेट लगाने की अनुमति की संस्तुति मार्ग के मध्य से 25.91 मीटर पर बफर स्ट्रिप एवं 36.91 मी0 दूरी पर फिंलिंग पम्प लगाने की संस्तुति की जाती है।
14. रिटेल आउटलेट पर वाहनों के प्रवेश एवं निकास के कर्ब्स की चौड़ाई कम से कम 3 मी0 होनी चाहिए।
15. बफर स्टिक 12मी0 की लम्बाई और 3 मी0 की चौड़ाई में जैसी की नक्शे में प्रदर्शित है। तदानुसार ही निर्माण कार्य करना होगा एवं उस हेतु शपथपत्र भी देना होगा।

16. मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे(MORTH) भारत सरकार के पत्र सं0– RW/N.H.-33023-19/99-D.OIII Dt. 25.09.2003/17-01-2003 में अंकित बिन्दु संख्या 6.10 में उल्लेखित है कि ऑयल कम्पनी/स्वामी का लाईसेन्स डीड जारी करने से पूर्व लो0नि0वि0/राजकीय भूमि को उपयोग लाने की फीस रू0 1.00 लाख सहित 15 वर्ष की अवधि के लिए विभाग से इकरारनामा (एग्रीमेन्ट)करना होगा।

17. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आगरा–शमशाबाद–राजाखेड़ा मार्ग के किमी0–27, चैनेज–26.332 ग्राम–एत्मादपुर अजनेरा, तहसील–फतेहाबाद, जिला–आगरा में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट पर ही लागू होगा।

संलग्नः– स्थल मानचित्र दो प्रतियों में।

16/1/17

(अजय कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0,
आगरा

पत्रांक /

दिनांक..............

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा को उनके पत्रांक 333/116सी0–आ0क्षे0/16 दिनांक 10.01.17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत लो0नि0वि0, आगरा को उनके पृष्ठांकन सं0–201/43सी–आ0वृ0/17 दिनांक 13.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता तृतीय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अवर अभियन्ता (प्रा0) को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0,
आगरा